

संख्या 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)



लोक न्यायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 15 जून, 2010

कार्यालय लापन

विषय: उक्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का समंजन जो 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति/निलम्बन पर थे और उनके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए/उनकी मृत्यु हो गई।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 33 के अनुसार, पेंशन की गणना हेतु, 'परिलब्धि' का अर्थ है मौलिक नियमों के नियम 6(21) (क)(1) में यथा परिभाषित वह मूल वेतन जो कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पहले अथवा अपनी मृत्यु के दिन प्राप्त कर रहा था। इस नियम के तहत टिप्पणी 3 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के ठीक पहले असाधारण छुट्टी पर छुट्टी से अनुपस्थित रहा था अथवा निलम्बन के अधीन रहा था, वह अवधि सेवा नहीं मानी जाती है, ऐसी छुट्टी पर जाने अथवा निलम्बित किए जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन ही इस नियम के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगा। उस तरीके के संबंध में संदेश उठाए गए हैं जिसके द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का समंजन किया जाएगा जो 1.1.2006 को असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति/निलम्बन पर थे और उसके बाद कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए/उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

सरकारी कर्मचारी की श्रेणी	वह तरीका जिसके द्वारा पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ का समंजन किया जाएगा
वह सरकारी कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी/अनधिकृत अनुपस्थिति पर था जिसकी अवधि 1.1.2006 को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाती है और जो कार्यग्रहण किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गया/उसकी मृत्यु हो गई।	केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 33 के अनुसार, ऐसी छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन ही पेंशन के उद्देश्यार्थ परिलब्धि होगा। इस प्रकार परिकल्पित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन को इस विभाग के कार्यालय लापन सं. 38/37/08-पी-एंड पी डब्ल्यू(ए) दिनांक 1/9/2008 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा और पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को इसका भुगतान देय तिथि से किया जाएगा।

यह सरकारी कर्मचारी जो असाधारण फुट्टी पर था दिनांकी आदि 1.1.2006 को आरंभ सेवा के रूप में गिनी जाती है और इसके बाद कार्यवाही किए बिना ही वह सेवानिवृत्ति हो गया/उसकी मृत्यु हो गई।

एसे सरकारी कर्मचारी को वेतन 1.1.2006 से असाधारण रूप में संशोधित करने/जाहजगी और इस प्रकार मोरमस्त रूप से संशोधित कुल वेतन पेशान के उद्देश्य परिलक्ष्य के रूप में गिना जाएगा।

उपरोक्त के उद्देश्य, परिलक्ष्य में सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख को अनुसूची अर्थात् अस्त की खानिस होगा।

उपरोक्त केंद्र प्रमुख पेशान/पेशान का सरकारीकरण इस विभाग के कार्यालय दिनांक 1.1.2006 से शुरू होगा और दिनांक 31.12.2006 तक अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। पेशान/पेशान को इसका पता देना होगा।

यह सरकारी कर्मचारी जो 1.1.2006 के अंतर्गत था और उसके बाद कार्यवाही किए बिना ही सेवानिवृत्ति हो गया।

यह कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर कार्यवाही के लिए आदेश प्राप्त होता है। निर्दिष्ट होने से एक पत्र उनके द्वारा प्राप्त की गई परिलक्ष्य असाधारण पेशान के उद्देश्य परिलक्ष्य होगी। यह अंतिम पेशान तक संशोधित नहीं की जाएगी जब तक कि विभागीय/न्यायिक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और उस पर अंतिम आदेश जारी नहीं हो जाती।

यह आदेश भारत सरकार (व्यवस्था) की कार्यवाही से उनके एओसी/सी-33/इ/2010 दिनांक 1.1.2006 के तहत जारी किया गया है। सरकारी कर्मचारी को सेवा विभाग के व्यक्तियों पर लागू होने के संबंध में यह आदेश भारत के निर्देश और व्यवस्था परिसर से जारी किए जाते हैं।

तृप्ति घोष  
(तृप्ति पी घोष)  
निदेशक

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. सीजीए/सीएजी/सीपीएओ
3. स्टैंडर्ड डाक सूची के अनुसार